वित्त निर्देश- 50/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 239/एफ-1000918/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर, दिनांक 25 जून, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28.04.2008.

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित तथा समयबद्ध अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से समयमान वेतन उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत विभिन्न वेतनमानों के लिये उच्चतर वेतनमान की पात्रता उक्त ज्ञापन की परिशिष्ट-1 के अनुसार होती है।

2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि परिशिष्ट-1 के अनुक्रमांक-4 में उल्लेखित वेतनमानों के लिए निम्नानुसार भिन्न-भिन्न प्रथम उच्चतर वेतनमान स्वीकृति किया जाए।

क.	**वर्ग**	**प्रारंभिक वेतनमान**	**प्रथम उच्च्तर वेतनमान**	**द्वितीय उच्चतर वेतनमान**
4-क	वर्ग-स	5500-9000	7500-12000	8000-13500
4-ख	वर्ग-स	5000-8000	6500-10500	8000-13500

3/ यह संशोधन दिनांक 1.4.2006 से लागू माना जावेगा, किन्तु आर्थिक लाभ दिनांक 1.7.2012 से देय होगा। योजना की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

(**एस.के.चक्रवर्ती**)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 240/एफ-1000918/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर, दिनांक 25 जून, 2012

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravi Verma

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग